MRA की राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 4] No. 4] मुई दिल्ली, फरवरी 1-फरवरी 7, 2009, श्रनिवार/मार्घ 12-माध 18, 1930

NEW DELHI, FEBRUARY 1—FEBRUARY 7,2009, SATURDAY/MAGHA 12—MAGHA 18, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साम्बारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2009

सा.का.नि. 12.—राष्ट्रपति, सीवधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के उपरांत केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियमावली, 2009 कहा जा सकता है।
 - (2) यह शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 की अनुसूची में भाग V में कॉलम (2) के पैरा (ख) के उप पैरा (VI) में क्रमांक 1 के सामने कॉलम संख्या (4) में तद्नुरूपी प्रविध्टि के पक्ष में "किला कमांडर, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह,

पार्ट ब्लेयर" शब्दों के स्थान पर "कमाण्डर इन-चीफ, अण्डमान तथा निकोबार कमाण्ड" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 11012/8/2008-स्या. (क)]

पी. प्रभाकरण, रूप सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 20 नवम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्था. (क) के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में दिनांक 25 अप्रैल, 1984 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 1 35 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 29th January, 2009

- G.S.R. 12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:—
 - (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in Part V, against serial number 1, in sub-paragraph (vi) of paragraph (B) of column (2), for the corresponding entry in column (4), for the words "Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command" shall be substituted.

[F. Nq. 11012/8/2008-Estt. (A)]

P. PRABHAKARAN, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number 7/2/63-Estt. (A) dated the 20th day of November, 1965 and subsequently amended vide notification number S.O.1135 dated the 25th day of April, 1984.